जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे. 427 दि. 30.06.17

आदेश

विषयः- विद्युत कनेक्शन जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश।

प्रायः यह देखा गया है कि सहायक अभियंता कार्यालय द्वारा विद्युत कनेक्शन जारी करने के संबंध में कनिष्ठ अभियंता कार्यालय को सर्विस जॉब ऑर्डर एवं सर्विस कनेक्शन आदेश प्रेषित किये जाने के पश्चात् लंबे समय तक उनकी पालना नहीं की जाती है। जिसके कारण आवेदक विद्युत का दुरूपयोग अथवा चोरी जैसे कार्यों में संलिप्त हो जाते है। जिसके फलस्वरूप निगम को राजस्व की हानि होती है एवं विद्युत छीजत में वृद्धि भी होती है।

विद्युत कनेक्शन समय से जारी करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि कनिष्ठ अभियंता कार्यालय को विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतु एक बार में अधिकतम 5 सर्विस जॉब ऑर्डर एवं 5 सर्विस कनेक्शन आदेश (वरीयता अनुसार) ही पालना हेतु भेजे जावें एवं कनिष्ठ अभियंता द्वारा ठेकेदार को अधिकतम 5 जॉब ऑर्डर से संबंधित सामान ही जारी किया जावे एवं कनिष्ठ अभियंता द्वारा उक्त जॉब ऑर्डर/कनेक्शन आदेशों की पालना करने के पश्चात् ही अगले 5 जॉब ऑर्डर/कनेक्शन आदेश पालना हेतु प्रेषित किये जावें। उपखंड कार्यालय के सहायक राजस्व अधिकारी (ARO) जारी किये गये विद्युत कनेक्शनों का दो माह के अंदर प्रथम विद्युत विपत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से

(यू.एस.चौहान)
अधीक्षण अभियंता (आर.ए. एंड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर